मूल हिंदी में

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2300

23.09.2020 को उत्तर के लिए

ई-अपशिष्ट

2300. श्री ओम पवन राजेनिंबालकर :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में ई-अपशिष्ट प्रतिवर्ष तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान ई-अपशिष्ट का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास ई-अपशिष्ट के निपटान हेतु कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन के कार्य में लगे कामगार विभिन्न बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं और इसके परिणामस्वरूप अनेक कामगारों की मौत भी हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन समस्याओं से लोगों को बचाने और ई-अपशिष्ट हेतु एक सुरक्षित निपटान प्रणाली स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, ई-अपशिष्ट का प्रति वर्ष सृजन बढ़ रहा है। सरकार द्वारा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के तहत, देश भर में अपशिष्ट सृजन को सूचीबद्ध करने के प्रावधान किए गए हैं। उक्त नियमों के तहत, ई-अपशिष्ट के सृजन की सूची तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) को सौंपी गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) की सूचना के अनुसार, अब तक सात राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों नामत: गोवा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और पंजाब द्वारा ई-अपशिष्ट के सूचीकरण का कार्य पूरा कर लिया गया है। देश में प्रत्येक राज्य के लिए सूची उपलब्ध नहीं है। सीपीसीबी द्वारा सभी राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों को ई-अपशिष्ट की सूची तैयार करने हेतु पद्धति भी परिचालित की गई थी।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 दिनांक 01.10.2016 से लागू है। तदनुसार, सीपीसीबी ने वित्तीय वर्ष 2017-18 से 21 प्रकार के अधिसूचित इलैक्ट्रिकल और इलैक्ट्रोनिक उपकरण (ईईई) के बिक्री आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर ई-अपशिष्ट के सृजन का आकलन किया है। वित्तीय वर्ष 2017-

2018, वित्तीय वर्ष 2018-2019 और वित्तीय वर्ष 2019-2020 के दौरान ई-अपशिष्ट के सृजन का अनुमान निम्नवत दिया गया है :

- वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,08,445 टन है।
- वित्तीय 2018-19 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 7,71,215 टन है। यह 1168 उत्पादकों के विक्रय आंकड़ों पर आधारित है।
- वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 21 प्रकारों के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों (ईईई) के लिए ई-अपशिष्ट का अनुमानित सृजन 10,14,961.2 टन है। यह 1380 उत्पादकों के विक्रय आंकड़ों पर आधारित है।

(ग) पर्यावरणीय दृष्टि से उचित प्रकार से ई-अपशिष्ट के निपटान के लिए सरकार ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 अधिसूचित की है। विनियमों का अभिप्राय ऐसे सभी अपेक्षित कदमों को उठाना है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि ई-अपशिष्ट प्रबंधन इस प्रकार से किया जाए, जो ऐसे अपशिष्ट के परिणामस्वरूप किसी प्रतिकूल प्रभाव से स्वास्थ्य और पर्यावरण को संरक्षित कर सके। उक्त नियमावली दिनांक 01.10.2016 से प्रभावी है। उक्त नियमावली के तहत, ईईई के उत्पादकों को विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) के सिद्धांत के अंतर्गत ई-अपशिष्ट के एकत्रण और पर्यावरण के अनुकूल उचित के लिए प्रबंधन और उपभोक्ताओं और बड़ी मात्रा में उपभोक्ताओं में जागरूकता उत्पन्न करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। उक्त नियमावली में ई-अपशिष्ट के पर्यावरणीय दृष्टि से उचित एकत्रण, ढुलाई, भण्डारण, विघटन और पुन:चक्रण के लिए प्रावधान हैं। नियमावली में विभिन्न हितधारकों की भूमिका और उत्तरदायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। ईपीआर के तहत, उत्पादकों को विस्तृत उत्पादक उत्तरदायित्व प्राधिकार (ईपीआरए) प्राप्त करना होगा। उत्पादकों के ईपीआरए में ई-अपशिष्ट एकत्रण लक्ष्यों का उल्लेख किया गया है जो कि या तो उनके सृजन या ईईई की बिक्री पर आधारित है।

(घ) और (ड.) इलैक्ट्रोनिक उत्पाद और इलैक्ट्रिकल उपकरण अपने प्रयोग काल के पश्चात, पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, यदि उन्हें पर्यावरणीय दृष्टि से अच्छे ढंग से भण्डारित और संसाधित किया जाता है। तथापि, यदि ई-अपशिष्ट को खोला जाता है और इसमें से कीमती और अर्ध-कीमती सामग्री को निकालने के लिए अवैज्ञानिक पद्धतियां प्रयोग की जाती हैं, तो ये स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है और पर्यावरण को क्षति पहुंचाता है। तथापि, पर्यावरण पर ई-अपशिष्ट द्वारा होने वाली क्षति के आकलन के लिए कोई विशिष्ट अध्ययन अभी तक नहीं किया गया है।

ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016 के अंतर्गत, ई-अपशिष्ट के विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य श्रम विभाग या संबंधित राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है। ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमावली, 2016

के नियम 12(2) के अनुसार, राज्य में श्रम विभाग या राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत अन्य कोई सरकारी एजेंसी निम्नानुसार कार्य करेगी :

(क) विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की पहचान और पंजीकरण सुनिश्चित करेगी;

(ख) विघटन सुविधाओं की स्थापना को सुविधाजनक बनाने के लिए ऐसे कर्मचारियों के समूहों को तैयार करने में सहायता करेंगी;

(ग) विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों के लिए औद्योगिक कौशल विकास कार्यकलाप शुरू करना;

(घ) वार्षिक निगरानी और विघटन और पुन:चक्रण में शामिल कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने का कार्य करना;

*****